न्यायालय अपर सिविल जज (जू0 डि0)–05 / न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर

मूल वाद सं0–628 / 2022

महक सिंह आदि बनाम आरती शर्मा आदि

दिनांक–:–11.08.2023

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी अनुपस्थित। पत्रावली पुनः पेश हो।

(राहुल जायसवाल)
अपर सिविल जज (जू0 डि0)–05 / न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर

पुनः पेश–

पत्रावली पुनः पेश हुई। बार–बार पुकार पर भी वादी अनुपस्थित हैं। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी विगत कई तिथियों से अनुपस्थित चल रहे है उनकी तरफ से मुकदमें की कार्यवाही के बाबत कोई आवश्यक पैरवी नही की जा रही है और न ही किसी प्रकार का कोई स्थगन प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया जा रहा है। आज भी वादी की ओर से कोई स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसा दर्शित होता है कि अब वादी की रूचि वाद के संचालन में नही है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

मूल वाद सं0–628 / 2022 महक सिंह आदि बनाम आरती शर्मा आदि वादी की अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(राहुल जायसवाल)
अपर सिविल जज (जू0 डि0)–05 / न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुजफ्फरनगर